राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारी नंदकिशोर राजोरा RAS

प्रकरण संख्या :– 5/2018

दायरा दिनांक :– 28.02.2018

निर्णय दिनांक :– 28|8|2019

उनवान

1. शहनाज पुत्री अख्तर अली पत्नि जीमल अहमद जाति मुसलमान निवासी गूगौर हाल छीपाबडौद।
2. यास्मीन पुत्री अख्तर अली पत्नि सलीम अहमद मुसलमान निवासी गूगौर हाल छबडा तह. छबडा।

बनाम

1. अख्तर अली पुत्र अकबर अली जाति मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
2. शाहिन बानो पत्नि अख्तर अली मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
3. शमशेद अली पुत्र अकबर अली जाति मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
4. ईश्हाक अली पुत्र अकबर अली जाति मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
5. अजीज बाई पुत्री अकबर अली जाति मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
6. बीबी पुत्री अकबर अली जाति मुसलमान निवासी गूगौर तहसील छबडा।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 90 91,92, 92, 188 आर.टी.ए.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :– 28|8|019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अजय श्रीवास्तव – वादी
2. श्री आसिफ आलम – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगणों के इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, कि प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त एवं अप्रार्थीगणों के शामलाती खातेदारी का भूमि वाके ग्राम गूगौर तहसील छबडा में भूमि खात संख्या 287/278 के खसरा नम्बर 61 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 62 रकबा 3.01 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 9.08 बीघा कुल किता 3 रकबा 13.05 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण का हिस्सा 5/7 दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या 296/279 की खसरा नम्बर 244 रकबा 5.09 बीघा भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो अप्रार्थीगणों को उनके पिता दादा से प्राप्त हुई थी।

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण को अपने पूर्वजों की भूमि में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीयागण, अप्रार्थी क्रम 1 अख्तर अली की पुत्रिया है।

अकबर अली की मृत्यु 27 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अकबर अली के मरने के बाद उक्त भूमि में अप्रार्थी का हिस्सा 5/7 है 5/7 हिस्से में अकबर अली का 1/5 हिस्सा है। 1/5 हिस्से में अख्तर अली की पुत्रिया होने के नाते प्रार्थियागण वैध वारिस व उत्तराधिकारी है।

प्रार्थीयागण के पिता अख्तर अली द्वार दूसरी पत्नि से शादी इस शर्त पर की थी कि जमीन अप्रार्थी क्रम 2 के नाम करेगा, तब शादी की थी, अप्रार्थी क्रम 1 ने बेचाननामे से अप्रार्थी क्रम 2 के नाम जमीन विक्रय करवाकर अप्रार्थी क्रम 1 के नाम करवाई थी।

प्रार्थी क्रम 1 व 2 ने दूसरी शादी अप्रार्थी क्रम 1 को इस शर्त पर करने को इजाजत दी थी कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी क्रम 1 को 1/5 हिस्से में 1/2 हिस्सा प्रार्थीयागण का होगा और प्रार्थीयागण अख्तर अली के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्से पर आज भी काश्त करती चली आ रही है। उक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी में 5/7 हिस्से में अख्तर अली का नाम होने से उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 अख्तर अली ने अपनी खाते की भूमि बेचान कर दिया, या हस्तांतरण कर दिया तो प्रार्थीयागण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। उक्त विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी क्रम 1 अख्तरअली का 1/5 हिस्से में प्रार्थीयागण का हिस्सा 1/2 पर अपने दादा की पैतृक सम्पत्ति होने से पूर्वजों की सम्बन्धित में हक अधिकार नीहित है। इसलिए उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का कब्जा कास्त होने से खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधालन फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता. की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रार्थीया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074, नकल गिरदावरी सम्वत 2071–2074, नकल जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070, नकल जमाबंदी खतौनी सम्वत 2038 से 2041 एवं नकल नक्शा ट्रेश पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीयागण के कब्जे कास्त एवं शामलाती खातेदारी की भूमि वाके ग्राम गूगौर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 61 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा किता कुल 3 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि में प्रार्थीयान का 5/7 हिस्सा दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि अब स्थित है। जो पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थीया को पूर्वजों की भूमि में पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थीयागण अख्तर अली पुत्र अकबर अली की पुत्रीयां होने से वैध वारिस है। प्रार्थीयागण के पिता अख्तर अली ने दूसरी शादी इस शर्त पर की थी कि जमीन अप्रार्थी क्रम 2 के नाम करेगा। अप्रार्थी क्रम 1 ने बेचान नामे से अप्रार्थी क्रम 2 के नाम जमीन विक्रय करवाकर अप्रार्थी क्रम 1 के नाम करवाई थी।

उक्त विवादित भूमि की खातेदारी में अख्तर अली हिस्सा 5/7 निहित होने पर अप्रार्थीगण भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त विवादित भूमि में अपने खाते हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थिया अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेगी। अतः अप्रार्थीगणों को वाद ता फैसला अस्थायी निषेघाता से पाबंद फरमावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि मृतक अकबर अली के प्रार्थीगण 1, 3, 4, 5 व 6 के अतिरिक्त दो अन्य वारिसान गफ्फार अली व अनवर अली थे

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगणों से मृतक गफ्फार अली व अनवर अली के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थाना पत्र चलने योग्य नहीं है।

ग्राम गूगौर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 61, 62 व 63 कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा में अख्तर अली का केवल 1/7 हिस्सा है भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थी क्रम 2 की यह स्वअर्जित सम्पत्ति है जिनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा हरदेव पुत्र श्री गोपाल राठी निवासी कडैयावन से क्रय की है।

अप्रार्थी क्रम 1 अख्तर अली की पूर्व पत्नि रफीका बेगम से दो पुत्रिया प्रार्थीगण क्रम 1 व यास्मीन क्रम 2 पैदा हुए जिनका विवाह अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बडे धूमधाम से किया अख्तर अली की पूर्व पत्नि रफीका बेगम की मृत्यु होने के पश्चात शाहिना बानो अप्रार्थी क्रम 2 से विवाह करने पर 6 बच्चे–बच्चियां पैदा हुए।

प्रार्थीयागणों का पैतृक भूमि खसरा नम्बर 61, 62 व 63 ग्राम गूगौर में किसी भी प्रकार कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। मुस्लिम विधि के अनुसार केवल अपने पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति में ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते है। पैतृक सम्पत्तियों में पौत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थीगणों को परेशान रकने की नीयत से मिथ्या व निराधार आधारों पर वाद/प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिती में चलने योग्य नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्तानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गूगौर में स्थित है जिसमें प्रार्थियान के पिता अख्तर अली के शामलाती खातेदार भूमि में नाम दर्ज है वदिया/प्रार्थीया उक्त विवादित भूमि में अपने पिता से अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहती है। प्रार्थीया का पिता अपने हिस्से का आराजी का बेचान करना चाहता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/वादीयान के पक्ष मे जाता है एवं अपरिमित क्षति भी वादियान के पक्ष मे है ऐसी स्थिती में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थीया द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु निवेदन किया है वह न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगणों को जर्ये अस्थायी निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाके ग्राम गूगौर के खसरा नम्बर 61 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 3.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 63 रकबा 9.08 बीघा कुल किता 3 रकबा 13.05 बीघा भूमि पर मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नंदकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

Scanned by CamScanner